# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–802 / 2025

महेन्द्र सिंह मीणा

–अपीलार्थी

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रिंसिपल, राजकीय महाविद्यालय, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.03.2025

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री महिपाल खर्रा, अति. राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :–विकास सीतारामजी भाले (अध्यक्ष)**
**अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**

**आदेश**

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की अपील आदेश दिनांक 11.02.2025 के द्वारा निस्तारित की गयी थी। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 13.02.2025 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील को स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मानते हुए अपील को निस्तारित किया गया है, जबकि अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण आदेश को चुनोती नहीं दी थी। अपीलार्थी ने अपनी अपील में पुस्तकालय का चार्ज अपीलार्थी को दिये जाने के आदेश के सम्बन्ध में चुनौती दी थी।
2. अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया। हम पाते है कि अपीलार्थी की अपील को गलत आधारों पर निस्तारित किया गया है। ऐसे में अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की इस अपील के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 11.02.2025 निरस्त किया जाता है।
3. प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी को पुनः सुना गया।
4. अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.08.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा राजकीय महाविद्यालय, करौली द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के आदेश पारित किये गये हैं। उनका तर्क है कि अपीलार्थी सह आचार्य के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी

पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं है। अपीलार्थी को पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर कार्य करने का कोई अनुभव नहीं है। पूर्व में श्री कल्याण सिंह रावत, सह आचार्य को तत्कालीन पुस्तकालय अध्यक्ष श्री सदाशिव शर्मा के सेवानिवृत्त होने पर महाविद्यालय पुस्तकालय का चार्ज सौंपा गया था, तब उन्होंने वस्तुस्थिति के आधार पर चार्ज ले लिया, बाद में 2800 पुस्तकें कम निकली। जिसके एवज में उन्हें लगभग 780 पुस्तकों का चार्ज लगभग 1.5 लाख रूपये जमा करवाये और बाकी अन्य पुस्तकों की व्यवस्था कर पुस्तकालय में जमा करवानी पडी। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने दिनांक 25.12.2024 को पुस्तकालय अध्यक्ष का चार्ज दिये जाने के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को प्रस्तुत किया था, परन्तु उस अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

5. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**

**(विकास सीतारामजी भाले)**
**अध्यक्ष**